

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

कार्यालय मुख्य नगर नियोजक

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : 1997.

जयपुर, दिनांक 29/5/18.

क्रमांक प.2(1)नविवि/॥/2009 पार्ट-॥

आज्ञा

राजस्थान नगर नियोजन सेवा के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची एतद्वारा निम्नानुसार प्रसारित की जाती है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	चयन का माध्यम एवं विवरण		विशेष विवरण
		पदोन्नति वर्ष	रिक्ति तिथि	
1.	श्री अनिल कुमार पथरिया	2016-17	01.04.16	से.नि. तिथि 31.07.2018

जिन अधिकारियों को इस सूची में नियत किये गये स्थान से असंतोष/आपत्ति हो तो वे अपना लिखित अभ्यावेदन मय प्रमाणित दस्तावेजों के अस्थाई (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची जारी किये जाने की तिथि से 10 दिवस में इस विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि में यदि कोई आपत्ति विभाग को प्राप्त नहीं होती है तो उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को अन्तिम वरिष्ठता सूची माना जावेगा। यह नगरीय विकास विभाग की [Website:www.udh.rajasthan.gov.in](http://www.udh.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।

आज्ञा से

(अर्जुन राम चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वरिष्ठता सूची नगर नियोजन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करावें।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इसे नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय